डा० का० ला० श्रीमाली : उन की कीमत २००, ३०० रुपए के करीब होगी ।

Mr. Speaker: He wants to know in full for each individual stone.

Dr. K. L. Shrimali: The total value has been estimated at about Rs. 300.

छंटनी के नियम

*१२९७. **श्री क० मे० मालवीय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को अपनी स्थापनाओं में कोई छंटनी करने से पहले गृह-कार्य मंत्रालय की स्वीकृति लेनी होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं, लेकिन फालतू कर्मचारियों को निकालने का क्रम गृह मंत्रालय द्वारा इस विषय पर जारी की गई हिदायतों के मुताबिक होता है ।

(ख) हर मंत्रालय स्वयं ही यह भली प्रकार निश्चय कर सकता है कि क्या वह कम आदमियों से काम चला सकता है ।

An Hon. Member: In English also.

Shri Datar: (a) No; but the order in which the surplus personnel are discharged has to be in accordance with the general instructions on the subject issued by the Home Ministry.

(b) A Ministry is in the best position to decide if it can do with fewer persons.

श्री क० मे० मालवीय : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक कितने कर्मचारी रिट्रैंच किए गए हैं ?

Shri Datar: We are trying to avoid retrenchment. Even before retrenchment, we are trying to see if they can be absorbed. Therefore, there is no question of retrenchment as such.

श्री क० मे० मालवीय : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि रिट्रैंच किए गए कर्मचारियों को पुन: सर्विस में लिया गया ?

Shri Datar: That is what I have already pointed out. Even before they are retrenched, we are trying to re-absorb them in other services.

श्री क० मे० मालवीय : एवं कितने कर्मचारियों को पुनर्जीवित लिया गया ?

Shri Datar: I have not got the figures.

Shri S. M. Banerjee: May I know whether there is a proposal to ban retrenchment of Central Government employees altogether during the Second Five Year Plan?

Shri Datar: We are trying to see that all those persons who are likely to be retrenched should be absorbed in other services.

Mr. Speaker: Question No. 1298.

Pandit D. N. Tiwary: I would request that question No. 1315 may also be taken up along with this question.

Mr. Speaker: Who has tabled it?

Pandit D. N. Tiwary: It is also by me.

Mr. Speaker: Is the hon. Minister agreeable?

Dr. K. L. Shrimali: Yes.

हिन्दी अध्यापक

*१२९८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न जानकारी दी हुई हो :

(क) अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति की योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी राशि व्यय की है ;

(ख) इस योजना से किन-किन राज्य सरकारों ने लाभ उठाया है; और

(ग) प्रत्येक अहिन्दी-भाषी राज्य में अध्यापकों की नियुक्ति में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ४०]

अहिन्दी-भाषी राज्यों में शिक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति

*१३१५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी शिक्षा समिति द्वारा ५ जुलाई, १९५६ की सभा बैठक में की गई इस सिफारिश के सम्बन्ध में कि अहिन्दी-भाषी राज्यों में शिक्षा पदाधिकारी नियुक्त किये जायें क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) इसका क्या परिणाम हुआ है, और

(ग) किन-किन राज्यों में शिक्षा पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) एक विवरण आवश्यक सूचना के साथ सभा-पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ४१]

An Hon. Member: In English also.

Dr. K. L. Shrimali: A statement is laid on the Table of the House.

Mr. Speaker: I suppose it is in Hindi.

Dr. K. L. Shrimali: It is in both.

Pandit D. N. Tiwary: May I know whether there is any teaching of Hindi in those States not mentioned in the statement in reply to question 1298, because Hindi teachers have not been appointed in those States?

Dr. K. L. Shrimali: Almost all States have certain programmes for propagation of Hindi. This proposal refers to a special scheme where the Central Government were giving assistance to State Governments for employing Hindi teachers. I have already informed the hon. Member about the names of the States which participated in this programme. It is presumed that the other States did not consider it feasible to implement this programme.

Pandit D. N. Tiwary: May I know whether the State Governments had to contribute any amount towards the expenditure of Rs. 1,80,000 for payment of Hindi teachers?

Dr. K. L. Shrimali: They have to find their share. In 1956-57, we paid 66 per cent of the approved expenditure in the case of States, of course, 100 per cent in the case of Union Territories. In 1957-58, we gave assistance at the same rate.

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के अध्यापकों की सहायता के लिये उन्हीं भाषाओं—तामिल, तेलगु आदि—में पाठ्य-पुस्तकें भी तैयार की गई हैं ताकि तामिल और तेलगु आदि के माध्यम के द्वारा ही हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कराया जा सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, पाठ्य-पुस्तक तैयार करने का काम तो बराबर चल रहा है।

Scheduled Caste Scholarships

+

*12. **Shri S. M. Banerjee:**
Shri Prabhat Kar:
Shri Muhammed Elias:
Shri Sarju Pandey:

Will the Minister of Education and Scientific Research be pleased to state:

(a) whether the Government of India post-matric scholarships which had been applied for by Scheduled